

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/19

जयपुर, दिनांक: 12.01.2021

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग में प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा अतिरिक्त कार्य किये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित किया जाता है:-

क्र.सं.	नम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन स्थान
1.	उमेन्द्र कुमार गोयल	संयुक्त विधि परामर्शी, विधि (विधि) प्रकोष्ठ विभाग, सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी, गृह (ग्रुप-11) विभाग, सचिवालय, जयपुर
2.	वीरेन्द्र सिंह यादव, उप विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामर्शी, नगर निगम, कोटा उत्तर, कोटा	संयुक्त विधि परामर्शी, नगर निगम, कोटा दक्षिण, कोटा
3.	प्रकाश गुप्ता संयुक्त विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामर्शी, लोकायुक्त शासन सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर
4.	जगदीश प्रसाद, उप विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामर्शी एवं प्रशासक (वादकरण) कार्यालय राजकीय अधिवक्ता, जोधपुर	विशेषाधिकारी (उप विधि परामर्शी), राजस्व मण्डल, मुख्यालय जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर
5.	सुश्री अनामिका भूषण	वरिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय जयपुर
6.	श्री महेन्द्र पाल सिंह	सहायक विधि परामर्शी, ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी, सी.ए.डी. सचिवालय, जयपुर
7.	विकास अग्रवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी, अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
8.	श्री कपिल शर्मा	सहायक विधि परामर्शी, प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी, कार्मिक क-3 जांच, शासन सचिवालय, जयपुर
9.	श्री पवन कुमार	कनिष्ठ विधि अधिकारी, नगर परिषद् बीकानेर	वरिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
10.	श्री कपिल तंवर	कनिष्ठ विधि अधिकारी, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जोन-बीकानेर।	कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
11.	सुधीर कुमार वर्मा	कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय, विशेष योग्यजन, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर

Jaini
12-11-2021
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अतिरिक्त कार्य के स्थान पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


12.1.2024
संयुक्त शासन सचिव